बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01 / बजट–69 / 2025– / पटना, दिनांक फरवरी, 2026

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।
विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधाकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

विषयः– बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाये वेतनादि, भविष्य निधि के भुगतान संबंधित **Exit Settlement Plan, Revised Exit Settlement Plan,** माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश एवं **Civil Appeal Nos. 3937-3938/2011** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2332 दिनांक–29.12.2016 के द्वारा पुनरीक्षित **Exit Settlement Plan** एंव **Contempt Petition Nos. 654-656 of 2015 in Civil Appeal Nos. 4201 of 2011 & Civil Appeal Nos. 3937-3938/2011** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1494 दिनांक–26.09.2018 के अन्तर्गत बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना के नियंत्रणाधीन 02 बंद इकाइयों यथा–मोतीपुर इकाई के भविष्य निधि एंव बिहटा के सेवा निवृत्त एवं मृत कर्मियों के बकाये वेतनादि एंव सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु 5,20,00,000/–(पॉच करोड़ बीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–653 स्वी०/सी.सी. दिनांक–09.02.2026 के द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लि० पटना के नियंत्राधीन 02 इकाईयों यथा–(1) बिहटा (2) मोतीपुर के कार्यरत/सेवानिवृत/मृत कर्मियों के बकाये भुगतान हेतु संकल्प संख्या–1494 दिनांक–26.09.2018 के आलोक में राशि की भुगतान हेतु मो० 5,20,00,000 (पाँच करोड़ बीस लाख) रू व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उपरोक्त स्वीकृत राशि मो० 5,20,00,000 (पॉच करोड बीस लाख) रू नीचे अंकित इकाईयों के कार्यरत/सेवानिवृत/मृत कर्मियों के बकाये वेतनादि एवं भविष्य निधि उनके Exit settlement, Revised Exit Settlement Plan एवं निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 1494 दिनांक–26.09.2018 के आलोक में भुगतान हेतु राशि आवंटित किया जाता है।

3. स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–201–चीनी–मांग संख्या–45–उप शीर्ष–0001–चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट 1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय–विषय शीर्ष–3104 सहायक अनुदान–वेतन–विपत्र कोड–45-2852082010001 अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंध मो0 5,20,00,000.00 (पॉच करोड़ बीस लाख) रू० से राशि की निकासी निम्न प्रकार से की जा रही हैः–

क्र० सं०	संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी का नाम/पदनाम	संबंधित कोषागार	बिहार राज्य चीनी निगम की संबंधित इकाई का नाम	आवंटित राशि (रू०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	5,08,55,171.00	मोतीपुर इकाई के कर्मियों का भविष्य निधि का भुगतान
2.	विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी व्ययन पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना	बिहटा	11,44,829.00	बिहटा इकाई के कर्मियों का सेवान्त लाभ का भुगतान
			कुल योग :–	5,20,00,000.00	

4. बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई–मोतीपुर से संबंधित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर होगें तथा मुजफ्फरपुर कोषागार से राशि की निकासी कर अलग खाते में रखा जायेगा तथा उससे देयताओं का भुगतान किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एंव मोतीपुर इकाई के महाप्रबंधक के पर्यवेक्षण में संबंधित

Sanction order

कर्मियों का भुगतान करवाया जायेगा। कर्मियों के भविष्य निधि राशि की गणना एंव जाँचोपरान्त संबंधित कर्मियों को नियमानुसार देय राशि का भुगतान Motipur Sugar Factory Employee's Provident Fund Trust एंव मोतीपुर इकाई के महाप्रबंधक से प्राप्त अधियाचना के आधार पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता द्वारा संबंधित कर्मियों के बैंक खाते में सीधे अन्तरण द्वारा किया जायेगा।

5. बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई–बिहटा के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि॰, पटना (Bihar State Sugar Corporation Ltd., Patna, Bank Name-Canara Bank, Boring Road, Patna, Account No.- 120014933265, IFSC Code.- CNRB0001967) को भुगतान किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 एवं 2561 / वि॰ (2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह० / –
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–69 / 2025 / पटना, दिनांक फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना / कोषागार पदाधिकारी, मुजफ़्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–69 / 2025 / पटना, दिनांक फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उधोग विभाग / महाप्रबंधक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०, इकाई–बिहटा एंव मोतीपुर को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–69 / 2025 - 22 बजट / पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– आई. टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

Sanction order

92